UPSB010006852026

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.), 14 वां वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), सोनभद्र**

पीठासीन अधिकारीः **हरिकेश कुमार**, (उच्चतर न्यायिक सेवा), यू.पी.1822

**प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं.– 69/2026**

सुभद्रा देवी पत्नी भिखारी लाल, निवासी ग्राम डुमरडीहा, थाना व तहसील दुद्धी, जनपद सोनभद्र।

.....अपीलार्थी/विपक्षी

**बनाम**

1. उत्तर प्रदेश सरकार।
2. सरिता देवी पत्नी जीवनाथ, निवासी ग्राम डुमरडीहा, थाना व तहसील दुद्धी, जनपद सोनभद्र।

.....रेस्पोंडेंट्स

थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र।

**–निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ख अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम–**

**दिनांक 16.06.2026**

1. आवेदिका/निगरानीकर्ती की ओर से प्रार्थना पत्र का.सं.–5ख मय शपथ पत्र 6ख अंतर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.08.2025 के विरूद्ध प्रार्थिनी ने माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें श्रीमान् जी से निवेदन करना है कि प्रार्थिनी हृदय रोग की मरीज है तथा अक्सर प्रार्थिनी की तबीयत खराब रहती है। प्रार्थिनी अपने दवा–ईलाज हेतु बाहर चली गयी थी जिसके बावत अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क न होने की वजह से निर्धारित समय सीमा में पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रार्थिनी द्वारा जानबूझकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गयी। मात्र प्रार्थिनी की तबीयत खराब हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में देरी हुई है। माननीय न्यायालय के संज्ञान में विलम्ब पाया जावे तो उसे भारतीय मियाद अधिनियम की दफा–5 का लाभ प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर धारा–5 मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

2. प्रार्थना पत्र के साथ सूची 7ख से आक्षिप्त आदेश दिनांकित 01.08.2025 की सत्यप्रतिलिपि एवं सूची 11ख से आवेदिका सुभद्रा देवी के प्रसाद कुंवर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर के चिकित्सीय पर्चे दिनांक 05.08.2025 लगायत 02.12.2025 दाखिल किये गये है।

3. विपक्षी संख्या 1 की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है। आवेदिका ने जानबूझकर विलम्ब से बिना किसी उचित कारण के उक्त अपील योजित की है, जो निनरस्त होने योग्य है।

Digitally signed by HARIKESH KUMAR
Date: 2026.06.16 14:27:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sonbhadra

4. विपक्षी संख्या 2 की ओर से, पर्याप्त तामीला के पश्चात भी अपना पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित नहीं आया।

5. प्रार्थिनी/निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं. 1 की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया।

6. पत्रावली से यह तथ्य विदित होते हैं कि–

1. यह दाण्डिक निगरानी विद्वान अपर सिविल जज (क.श्रे.)/न्यायिक दण्डाधिकारी, दुद्धी, सोनभद्र द्वारा मु.अ.सं.–153/2025, अं.धारा–191(2), 324(5), 61, 331(4), 305ए, 317(2) बी.एन.एस व धारा–7 सी.एल.ए., थाना दुद्धी, सोनभद्र के मामले में पारित आदेश दिनांकित 01.08.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

2. प्रस्तुत निगरानी दिनांक–11.02.2026 को योजित की गयी है।

7. इस पत्रावली में प्रथम प्रश्न यह है कि क्या यह दाण्डिक निगरानी परिसीमा के अंतर्गत है, या नहीं? यदि नहीं तो क्या आवेदिका धारा–5 परिसीमा अधिनियम के लाभ की हकदार है?

8. फौजदारी निगरानी दायर करने की सीमा के संदर्भ में कानून व्यवस्था अनुच्छेद 116 परिरसीमा अतिधनिनयम में दी गयी है।

9. धारा–5 परिसीमा अधिनियम में व्यक्त अभिव्यक्ति ''पर्याप्त कारण'' काफी हद तक पक्षकार द्वारा देरी के लिये दिये गये स्पष्टीकरण पर निर्भर करती है। यदि न्यायालय यह पाती है कि आवेदक द्वारा देरी का जो कारण दर्शाया गया है वह सद्भावनापूर्ण है तो ऐसी देरी को माफ किया जा सकता है। प्रार्थिनी द्वारा विलम्ब का जो कारर्ण दर्शित किया गया है वह सद्भाविक है।

10. The hon'ble supreme court in case title **Raheem shah & ANR. vs Govind singh & ors Civil Appeal number 4628 of 2023 decided on 24.07.2023 held in para no.2** that:

"Refusing to condone the delay can result in a meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause of justice being defeated. As against this when delay is condoned the highest that can happen is that a cause would be decided on merits after hearing the parties.

And in para no. 5 that The above decision expressing the intention of justice-oriented approach percolating down to all the courts was rendered nearly three decades ago but unfortunately the case on hand demonstrates the pervading insensitive approach, which apart from continuing the agony of the litigants concerned has also unnecessarily burdened the judicial hierarchy which after going through the entire process will have to set the clock back] at this distant point in time and prolong their agony. If only the court concerned had been sensitive to the justice-oriented approach rather than the iron-cast technical approach] the litigation between the parties probably would have come to an end much earlier after decision on the merits of their rival contention."

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के परिरप्रेक्ष्य में निर्णयज विधि व्यवस्था एन० बाल कृष्णन बनाम एम० कृष्णामूर्ति ए०आई०आर० 1998 पेज 3222 सु०को० का सम्यक अवलोकन किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब माफ करने हेतु विलम्ब का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होता है, न कि विलम्ब की अवधि। पक्षकारों के मध्य मौलिक न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय को धारा–05 परिसीमा अधिनियम, 1963 का बहुत ही लचीले दृष्टिकोण से निर्वहन करना चाहिए।

12. प्रार्थिनी द्वारा प्राथना पत्र 5बी में अपील योजित करने में हुई विलंब के संबंध में जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है वह सद्भावी प्रतीत होता है। उपरोक्त निर्यणज विधि व्यवस्थाओं तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुणदोष पर निस्तारण हेतु निगरानी योजित करने में जो विलम्ब है, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र का.सं.–5ख अंतर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है।

**–आदेश–**

13. प्रार्थना पत्र का.सं.–5ख अंतर्गत धारा–5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा आवेदिका/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

14. पत्रावली माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.2026 को पेश हो।

दिनांक 16.06.2026

**(हरिकेश कुमार)**
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी,
14वां वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश
(गैंगेस्टर एक्ट), सोनभद्र